उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, पर दिनांक 16-7-1983 को 10-30 बजे पूर्वान्ह में हुई उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1983 की पंचम बैठक का कार्यवृत्त।

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

(1)	श्री बी०जे०बोदायजी		अध्यक्ष
(2)	श्री माता प्रसाद, एम०एल०सी०		सदस्य
(3)	श्री नोनिहाल सिंह		सदस्य
(4)	श्री आर०एस०माथुर	सचिव, आवास एवं नगर विकास विभाग, लखनऊ।	सदस्य
(5)	श्री शिव कुमार शर्मा	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०जल निगम	सदस्य
(6)	श्री जे०पी०दूबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र०	सदस्य
(7)	श्री त्रिवेणी सहाय	संयुक्त सचिव, वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
(8)	श्री श्याम सूरी	आवास आयुक्त	सदस्य

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निम्न मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये:—

क्रमांक विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1 2	3	4
1- दिनांक 17-5-1983 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पंचम/(1)/83	परिषद की दिनांक 17-5-1983 को हुई बैठक के कार्यवाही की पुष्टि की गयी।
2- परिषद की बैठक दिनांक 17-5-1983 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या।	पंचम/(2)/83	परिषद व्दारा दिनांक 17-5-1983 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वियन से सम्बन्धित आख्या की विस्तृत समीक्षा की गयी और सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये:- 1- सहायक निदेशक(प्रचार) के पदनाम को उप आवास आयुक्त(सं०प्र० एवं प्रचार) के पदनाम में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में विस्तृत टिप्पणी परिषद की अगली बैठक में अवश्य रखी जाये। 2- कानपुर एवं वाराणसी इकाईयों के लिये विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारियों के पदों का सृजन शीघ्र कराने हेतु शासन के आवास एवं राजस्व विभाग से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किया जाय और तदुपरान्त सृजित पदों पर सुयोग्य अधिकारियों की तैनातियां कराई जायें। 3- मुरादाबाद एवं अलीगढ़ में पुलिस कर्मियों व्दारा परिषद के आवास गृहों पर किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी से शीघ्र ही दिनां तथा समय लेकर वार्ता की जाये। 4- परिषद की इन्दिरा नगर योजनान्तर्गत 80 मध्यम आय वर्ग एम0ए0/75 प्रकार के भवनों के प्राविधिक परीक्षण के संबंध में मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्तर पर अब तक कृत कार्यवाही से सम्बन्धित टिप्पणी परिषद की अगली बैठक में अवश्य रखी जाये।

कृ०प०उ०

1	2	3	4
5-			5- परिषद् व्दारा निर्मित कालोनीज़ को स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में प्रत्येक कालोनी से सम्बन्धित विस्तृत तथ्यात्मक टिप्पणी तैयार कराकर अध्यक्ष महोदय के समक्ष रखकर अग्रेतर कार्यवाही पूर्व निर्णयानुसार करायी जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद व्दारा निर्मित जो कालोनीज़ स्थानीय निकायों के क्षेत्र के बाहर हो उनमें यथा संभव रख-रखाव का कार्य परिषद के आवंटियों का एसोसियेशन गठित कर उन्हें सौंप दिया जाये। ऐसे एसोसियेशन तब तक रख-रखाव का कार्य कराता रहेगा जब तक कि परिषद की उक्त सम्बन्धित कालोनी स्थानीय निकाय के क्षेत्र में न आ जाये। एसोसियेशन बनाने के लिये जो गुजरात राज्य में प्रणाली अपनाई गई है का अध्ययन किया जाये। परिषद के संज्ञान में लाया गया कि परिषद को कुछ कालोनीज़ में जो स्थानीय निकाय के कार्यक्षेत्र के भीतर पड़ती है सम्बन्धित स्थानीय निकाय भवन कर की वसूली तो करती है किन्तु कालोनी के रख-रखाव के लिये कोई भी धनराशि व्यय नहीं करती। परिषद ने निर्णय लिया कि जब भी कोई कालोनी सम्बन्धित निकाय को हस्तान्तरित की जाये तो उसके व्दारा वसूल किये गये भवन कर का समायोजन उस धनराशि में कर लिया जाय जो धनराशि सम्बन्धित निकाय हस्तान्तरण के पूर्व विकास कार्य जैसे सड़कों की मरम्मत आदि के लिये मांग रही हो।
			6- परिषद लेखों के समायोजन तथा मिलान एवं लेखा मैनुअल तैयार करने के सम्बन्ध में हुई अद्यावधिक प्रगति की जानकारी परिषद को करायी गयी। परिषद ने निर्णय लिया कि राजस्व खाता जिसका मिलान हो चुका है उसका समायोजन शीघ्र ही पूर्ण कराया जाये। जहाँ तक पूंजी खाता का प्रश्न है, उसके लिये समयबद्ध कार्यक्रम बनवा लिया जाये। जिन बैंकों में यह कार्य दिया जाना है उनका बटवारा लेखा अनुभाग के अधिकारियों के मध्य कर दिया जाये। सम्बन्धित अधिकारी पूर्वान्ह में अपना सामान्य कार्य करेंगे और अपरान्ह में अपने से सम्बन्धित बैंकों में बैठकर लेखे के मिलान एवं समायोजन का कार्य अपने पर्यवेक्षण में करायेंगे।
			7- आगरा की कमला नगर आवासीय योजना में ग्राम लश्करपुर की भूमि के सम्बन्ध में परिषद व्दारा लिये गये निर्णय का अनुपालन जिला स्तर से न हो सकने की स्थिति की जानकारी परिषद को करायी गयी। यह भी बताया गया कि चूंकि सम्बन्धित भूमि विधि पूर्वक अधिग्रहीत की गई और परिषद को उसका कब्जा भी मिल चुका है अत: ऐसी स्थिति में कब्रिस्तान का उल्लेख जो राजस्व अभिलेख में है निराधार है। वर्णित परिस्थिति में परिषद ने यह निर्णय लिया कि भू-अभिलेखों में इस तरह के निराधार उल्लेख के स्थान पर परिषद के स्वामित्व का उल्लेख हो जाना चाहिये और जब परिषद के अध्यक्ष एवं अशासकीय सदस्यगण माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलें

कृ०प०उ०

1	2	3	4
			तो उस समय मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया जाय। माननीय मुख्य मंत्री जी को इस संदर्भ में जो ज्ञापन दिया जाना है उसे परिषद के पूर्व निर्णयानुसार पहले से उनके सचिव को भेज दिया जाय।
			8- उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 में प्रस्तावित संशोधनों की एक संहत सूची अध्यक्ष, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद के समक्ष शीघ्र ही प्रस्तुत की जाय ताकि वे उसे पुनरीक्षित कर परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत कर सके।
			9- पिथौरागढ़ एवं रानीखेत नगरों की आवासीय योजना हेतु धारा-28 के प्रस्ताव परिषद की अगली बैठक में अवश्य रखे जायें।
			मंसूरी नगर में योजना चलाने के पूर्व जिला अधिकारी देहरादून से ज्ञात कर लिया जाये कि जिस भूमि के हस्तान्तरण का प्रस्ताव उन्होंने पहले दिया था क्या वह अब उपलब्ध है या नहीं। यदि उक्त भूमि उपलब्ध हो तो पहले वहाँ पंजीकरण खोल कर देख लिया जाये कि विशिष्ट प्रकार के भवनों के लिये कितनी माँग है। उसके बाद ही भूमि के हस्तान्तरण की कार्यवाही की जाये।
			अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त द्वारा भेजी गयी टिप्पणी को दृष्टिगत रखते हुये गोपेश्वर में परिषद की कोई योजना न चलाये जाने का निर्णय लिया गया।
			यह भी निर्णय लिया गया कि हरिद्वार मोदीनगर तथा काशीपुर नगरों में परिषद की योजना चलाने के लिये क्षेत्रीय कार्यालय से प्रस्ताव शीघ्र ही मँगा कर अगली बैठक में अवश्य प्रस्तुत किये जाये।
			10- प्रशासनिक व्यय में कटौती किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय कार्यालयों में क्या कटौती संभव है, इसके बारे में पी0सी0डब्ल्यू0ई0 तथा ज्येष्ठ लेखाधिकारी संयुक्त रूप से विचार कर अपना प्रस्ताव रखेंगें। जहाँ तक मुख्यालय में प्रशासनिक व्यय में कटौती किये जाने का सम्बन्ध है, यह कार्य सहायक आवास आयुक्त (प्रशासन) उप आवास आयुक्त के निर्देशन में करेंगें और अपनी टिप्पणी परिषद की अगली बैठक में रखेगें। क्षेत्रीय तथा मुख्यालय की टिप्पणियाँ संकलित रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिये जिसका समन्वय उप आवास आयुक्त एवं सचिव करेंगें
			11- वर्ष-1975-76 तथा वर्ष-1976-77 के पक्के चिट्ठे की जो प्रतियाँ महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त हुई हैं उसके आधार पर इन पक्के चिट्ठों का विधान मण्डल के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में अविलम्ब कार्यवाही की जाये।
			12- सिविल लाइन्स भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना कानपुर की भूमि के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस भूमि का अधिग्रहण न कर शहरी भूमि

कृ0प0उ0

1	2	3	4
			सीमा रोपण अधिनियम-1976 के अन्तर्गत इसे शासन से प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।
			13- उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद सहायक अभियन्ता सेवा विनियमावली-1973 को सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) के लिये लागू करने हेतु विनियमावली की आलेख्य अविलम्ब तैयार कर लिया जाये और परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ रखा जाये।
			14- मूलधन एवं व्याज की गणना अलग अलग करके प्रविष्टियां सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में करने हेतु दिये गये परिषद के निर्देशों के कार्यान्वयन का अनुश्रवण ज्येष्ठ लेखाधिकारी अपने स्तर पर तत्काल करेंगे और लम्बित कार्यवाही दिसम्बर 31, 1983 तक प्रत्येक दशा में पूरी करायेंगे। यह भी निर्णय लिया गया कि कर्मचारीवार लम्बित कार्य का बटवारा कर दिया जाये और यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन कर्मचारियों को यह कार्य दिया गया है वह समय से कार्य संपन्न करें। यदि कोई अधिकारी/ कर्मचारी इस कार्य के प्रति उदासीनता दिखाये तो उसे दण्डित करने का भी निर्णय लिया गया। यह परिषद व्दारा स्पष्ट किया गया कि जो सीमा अवधि इस कार्य हेतु निर्धारित की गयी है उसमें कोई आगे बढोत्तरी नहीं दी जायेगी। अत: विलम्बतम 31 दिसम्बर, 1983 तक प्रत्येक दशा में यह कार्य पूरा करा लिया जाये।
			15- परिषद के अशासकीय सदस्य श्री रामपाल सिंह व्दारा इस आशय के प्रस्ताव कि 2 प्रतिशत भवन का आवंटन परिषद के अध्यक्ष के विवेक पर रखा जाये, पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। परिषद के संज्ञान में लाया गया कि कुछ मामलों में परिषद और शासन के आदेशों से ऐसे व्यक्तियों को जो सहानुभूति के पात्र हैं, ऐसे आवंटन हो रहे हैं। विचारोउपरान्त यह निर्णय लिया गया कि अलग से अध्यक्ष के विवेक पर भवनों के कुछ प्रतिशत का आवंटन रखने की आवश्यकता अब नहीं रह जाती है।
			16- लेखा मेनुअल तैयार करने के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लिया जाये कि लेखा मेनुअल का कार्य किस निश्चित एजेन्सी व्दारा कराया जाना है और अगली बैठक में इसे परिषद के सूचनार्थ रखा जाये।
			17- परिषद की वित्तीय स्थिति के पूर्ण अध्ययन के सम्बन्ध में हडको कन्सल्टेन्सी सर्विसिज की सेवायें प्राप्त किये जाने का पूर्व प्रस्ताव समाप्त किया गया और निर्णय लिया गया कि यह कार्य यदि आवश्यक हो तो किसी अन्य एजेन्सी व्दारा कराया जाये।
3-	बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद् के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर विचार।	पंचम/(3)/83	बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद् के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर विचार विमर्श हुआ और निम्नलिखित निर्णय लिये गये: - 1- वर्ष-1983-84 के निर्धारित भूमि अर्जन के लक्ष्य के सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति पर

1	2	3	4
			असन्तोष व्यक्त किया गया और निर्णय लिया गया कि शेष 3 त्रैमास के लिये लक्ष्य निर्धारित करके भूमि अध्याप्ति की प्रभावी ढंग से कार्यवाही की जाये ताकि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार भूमि का कब्ज़ा प्राप्त किया जा सके। यह भी निर्णय लिया गया कि भूमि अध्याप्ति हेतु गत वित्तीय वर्ष में जो धन परिषद व्दारा जमा कराया जा चुका है उसके विरुद्ध किन-किन योजनाओं के लिये कितना-कितना प्रतिकर बाँटा जा चुका है तथा कितना शेष है, इसकी अद्यावधिक स्थिति भी परिषद को उपलब्ध करायी जाय। 2- भूमि विकास हेतु निर्धारित लक्ष्य शत-प्रतिशत प्राप्त करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम बना लिया जाये और इसका अनुश्रवण किया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि जल सम्पूर्ति तथा सीवरेज कार्यों की डिज़ाइन तैयार करने के लिये समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाय और इसका अनुश्रवण मुख्यालय स्तर पर पी०डी० डब्लू०ई० से कराया जाये। 3- वर्ष-1983-84 के लिये निर्धारित भवनों/भूखण्डों के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक हुई प्रगति पर अति असंतोष व्यक्त करते हुये निर्णय लिया गया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार भवनों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ करने के लिये समस्त प्रयास किये जायें और प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाये कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत जो निर्धारित लक्ष्य हो वह शत प्रतिशत पूरे हों।
4- वास्तुकला नियोजन अनुभाग का पुनर्गठन।	पंचम/(4)/83		अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित।
5- वर्ष-1980 में दिनांक 10/11 दिसम्बर-1980 की रात्रि में झाँसी उपखण्ड कार्यालय के अधीन स्थापित भण्डारगृह से 13.337 मे०टन स्टील की डकैती के फलस्वरूप परिषद को हुई वित्तीय क्षति रु० 63350/= के सम्बन्ध में।	पंचम/(5)/83		टिप्पणी में उल्लिखित तथ्यों से परिषद अवगत हुई।
6- नायक इलेक्ट्रिशियन श्री जगन्नाथ मिश्रा को अल्प आय वर्ग का भवन देने के सम्बन्ध में।	पंचम/(6)/83		परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
7- भूखण्डों को राजाजीपुरम योजना में इन्दिरानगर योजना में परिवर्तन किया जाना।	पंचम/(7)/83		परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
8- कमला नगर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, आगरा (घटवासन गृहस्थान एवं सड़क योजना, आगरा) में समाविष्ट ग्राम-लश्करपुर के खसरा नं०-166 व 170 के सम्बन्ध में कब्रिस्तान का मामला।	पंचम/(8)/83		परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आवास आयुक्त कमला नगर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, आगरा में समाविष्ट ग्राम-लश्करपुर के खसरा नं०-166 व 170 के बारे में आगरा के मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी से वार्ता कर इस समस्या का निराकरण करायेंगे।

1	2	3	4
9-	लखनऊ रायबरेली रोड पर तेलीबाग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3 की धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	पंचम/(9)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की। यह भी निर्णय लिया गया कि इस योजना में समाविष्ट भूमि के भू-प्रयोग में कोई परिवर्तन वांछित हो तो उसके लिये शीघ्र कार्यवाही की जाये।
10-	योजना सं0-1, कानपुर में परिषद फण्ड से 26 दुकानों का निर्माण।	पंचम/(10)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह निर्णय भी लिया गया कि ऐसी योजना कार्यान्वित हो जिससे परिषद के फण्ड की वापसी दो वर्ष की अवधि में हो जाये।
11-	योजना संख्या-3 कानपुर में परिषद फण्ड से 10 नग्र दुकानों का निर्माण।	पंचम/(11)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया। यह निर्णय भी लिया गया कि ऐसी योजना कार्यान्वित हो जिससे परिषद के फण्ड की वापसी दो वर्ष की अवधि में हो जाये।
12-	अँगूरीबाग योजना, फैजाबाद में परिषद फण्ड से शापिंग कम-आफिस-काम्पलेक्स का निर्माण।	पंचम/(12)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह निर्णय भी लिया गया कि ऐसी योजना कार्यान्वित हो जिससे परिषद के फण्ड की वापसी दो वर्ष की अवधि में हो जाये।
13-	योजना सं0-1, सीतापुर में परिषद फण्ड से शापिंग कम-आफिस-काम्पलेक्स का निर्माण।	पंचम/(13)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की। यह निर्णय भी लिया गया कि ऐसी योजना कार्यान्वित हो जिससे परिषद के फण्ड की वापसी दो वर्ष की अवधि में हो जाय।
14-	रामनगर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना रामनगर (जिला-नैनीताल) क्षेत्रफल 20·51 एकड़ अनुमानित लागत रू0 117·84 लाख लगभग)	पंचम/(14)/83	परिषद व्दारा बिचार बिमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में आपत्तियों की सुनवाई हेतु परिषद व्दारा गठित नियोजन समिति की रिपोर्ट एक त्रैमास के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दी जाय।
15-	लोहरामऊ मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सुल्तानपुर का धारा-28 का प्रस्ताव।	पंचम/(15)/83	परिषद ने बिचार बिमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
16-	राजपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1, देहरादून के विकास कार्यों की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।	पंचम/(16)/83	परिषद व्दारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
17-	श्री एस0के0सोनी, अवर अभियन्ता के प्रत्यावेदन दिनांक 30-3-83 के प्रसंग में।	पंचम/(17)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त श्री एस0के0सोनी, अवर अभियन्ता व्दारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 30-3-83 सर्वसम्मति से अस्वीकृत कर दिया गया।
18-	परिषद व्दारा प्रदिष्ट सम्पत्ति के प्रदिष्टी की मृत्यु के पश्चात् संपत्ति को उसके उत्तराधिकारियों के पक्ष में करने के संबंध में विनियम-42 में संशोधन।	पंचम/(18)/83	अगली बैठक के लिये विचारार्थ स्थगित।

1	2	3	4
19-	फिरोज़ाबाद भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2, (क्षेत्रफल 158·00 एकड़ अनुमानित लागत रु0 307·11 लाख)	पंचम/(19)/83	नियोजन समिति की रिपोर्ट के प्रस्तुत करने में हुये अप्रत्याशित विलम्ब पर खेद व्यक्त करते हुये निर्णय लिया गया कि भविष्य में ऐसी रिपोर्ट प्रत्येक दशा में 3 मास के भीतर अवश्य प्रस्तुत की जाये। नियोजन समिति की रिपोर्ट सर्वसम्मति से स्वीकृत की गयी।
20-	फैज़ाबाद मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना आज़मगढ़ का धारा-28 का प्रस्ताव।	पंचम/(20)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
21-	श्रीमती रुक्मणी शर्मा, पत्नी एवं डा0ठाकुर प्रसाद शर्मा को लखनऊ में उच्च आय वर्ग का भवन आवंटन करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(21)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
22-	श्री शरद चन्द्र मिश्रा, आवंटी उच्च आय वर्ग भवन सं0-ए0 765 की कटौती माफी के सम्बन्ध में।	पंचम/(22)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से 28-4-82 से 31-7-82 तक के ब्याज को माफ करने का निर्णय लिया गया।
23-	राजाजीपुरम् योजना के सेक्टर-5 लखनऊ में बने शापिंग काम्पलेक्स के ऊपर परिषद फन्ड से आफिस बिल्डिंग का निर्माण।	पंचम/(23)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
24-	मेरठ रुड़की मार्ग(जी0टी0मार्ग) पर आवासीय योजना सं0-2 मुजफ्फरनगर (क्षेत्रफल 19·958 एकड़ अनुमानित लागत 37·805 लाख)	पंचम/(24)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
25-	नईगंज भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, जौनपुर के सम्बन्ध में।	पंचम/(25)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जिला मैजिस्ट्रेट, जौनपुर की रिपोर्ट विशिष्ट बिन्दुओं पर मांग की जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद के जिन सदस्यों ने स्थल का निरीक्षण किया था वह अपनी आख्या परिषद की अगली बैठक के पूर्व भेज दें ताकि उस पर विचार कर अंतिम निर्णय लिया जा सके।
26-	हरदोई रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना लखनऊ के धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	पंचम/(26)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
27-	कुर्सी रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, लखनऊ में समाविष्ट खसरा नं0 114 व 115 ग्राम इस्लामबाड़ी स्थिति निर्माणों तथा उनके साथ संलग्नक भूमि को योजना के ले-आउट से समायोजित करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(27)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि विवादग्रस्त निर्माणों को ले-आउट में समायोजित करने के पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति से विकास व्यय जमा करा लिया जाये।
28-	परिषद मुख्यालय पर तदर्थ आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के नियमित किये जाने के संबंध में।	पंचम/(28)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि तदर्थ आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने के लिये आवास आयुक्त

1	2	3	4
			आवश्यकतानुसार क्वालिफाइंग टेस्ट (अर्ह-परीक्षा) ले लें और ऐसे कर्मचारियों को जो परीक्षा में सफल हों उन्हें वास्तविक रिक्तियों के विरूद्ध समायोजित कर लिया जाये।
29-	विधि निरीक्षक के पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में।	पंचम/(29)/83	परिषद व्दारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि विधि निरीक्षक के इन दोनों पदों को भरे जाने के लिये विज्ञापन देकर प्रार्थना पत्र आमन्त्रित किये जायें और नियमानुसार चयन कर के नियुक्तियाँ की जायें।
30-	हापुड़-गाज़ियाबाद मार्ग पर आवासीय योजना सं०-1, पिलखुवा जिला-गाज़ियाबाद।	पंचम/(30)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पिलखुआ जिला-गाज़ियाबाद में सलेज फार्म [illegible] परिषद की कोई आवासीय योजना [illegible] ्वकारी गाज़ियाबाद की संस्तुति को देखते हुये न चलाई जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त स्थान पर आवासीय योजना चलाने के लिये कोई अन्य स्थल ढूंढा जाये।
31-	उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों व्दारा निर्मित भवनों/भूखण्डों/दुकानों के आवंटन में समाज के विशिष्ट वर्ग के लिये आरक्षण।	पंचम/(31)/83	परिषद को सूचना दी गयी और शासकीय निर्णय से अवगत हुआ।
32-	स्व०श्री मुरारी लाल अग्रवाल, मुख्य लिपिक गोरखपुर को देहरादून में प्रदिष्ट अल्प आय वर्ग भवन सं०-110 के विरूद्ध अवशेष की माफी के संबंध में।	पंचम/(32)/83	स्व०श्री मुरारी लाल अग्रवाल की सेवायें एवं उनके परिवार की दयनीय स्थिति पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये निर्णय लिया गया कि उन्हें आवंटित भवन के विरूद्ध जो धनराशि देय है उसकी आधी धनराशि माफ कर दी जाये।
33-	परिषद में लेखपाल पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों की आयु सीमा में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(33)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
34-	कार्यखण्ड(विद्युत/कार्यखण्ड-गाज़ियाबाद हेतु डीज़ल जीप/एम्बेसडर कार क्रय करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(34)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि वाह्य विद्युतीकरण के कार्य को शीघ्र पूरा कराने के लिये अधिशासी अभियन्ता (विद्युत)के प्रयोग हेतु एक डीज़ल जीप/ट्रैकर क्रय कर लिया जाये। जहाँ तक गाजियाबाद के लिये डीज़ल जीप के स्थान पर कार क्रय करने का प्रश्न है, शासन से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संदर्भ भेजने का निर्णय लिया गया।

यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद की अनुश्रवण समिति की अगली बैठक दिनांक 16-9-1983 को प्रात: 10-30 बजे तथा परिषद की बैठक दि०17-9-83 को प्रात: 10-30 बजे मुख्यालय पर होगी।

बैठक अध्यक्ष महोदय को आभार प्रकट करते हुये समाप्त की गयी।

पुष्टि की गयी
17/9/1983
अध्यक्ष
17.9.83